

भाषा

* भाषा का अर्थ:-

⇒ भूमिका:- भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास। भाषा के लिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि भाषा मनुष्य के विचार, विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है।

⇒ भाषा का अर्थ:- भाषा संस्कृत की भाषा धातु से उत्पन्न हुआ है इसका अर्थ है - बोलना।
प्लैटो के अनुसार "विचार-आत्मा की मूक बातचीत है जब वह होठों पर दृव्यात्मक होकर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है।"

⇒ भाषा की परिभाषा:- ब्लॉक और तैगर के अनुसार "भाषा व्यक्त दृवनि चिह्नों की उस पंक्ति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज, समूह परस्पर व्यवहार कर करते हैं।"

जॉन डी. ग्रामर्सन द्वारा के अनुसार "मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मती का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त दृवनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।"

स्पष्ट है कि भाषा मानव मुख से निकली हुई सार्थक दृवनि संकेतों का समष्टि समष्टिगत रूप है। भाषा एक विज्ञान है, एक सामाजिक क्रिया है। वक्ता और श्रोता के बीच विचार-विनिमय का साधन है इस आधार पर भाषा मानव मुख से निकली हुई सार्थक दृवनियों का समूह है।

* भाषा के रूप :-

भाषा के दो रूप होते हैं :-

- i) मौखिक भाषा
- ii) लिखित भाषा

मौखिक भाषा :- अपने विचार व्यक्त करने के लिए भाषा के जिस रूप का हम प्रयोग करते हैं अथवा दूसरी के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। प्रारंभ में मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही विकास किया था। तब वह अपनी जाति के समस्त अनुभवों एवं विचारों को मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते थे।

लिखित भाषा :- भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरी के विचार अथवा भाव पढ़कर ग्रहण करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिपि का वरदान पाकर मौखिक भाषा ने लिखित भाषा का रूप धारण किया। किसी भी मानव समाज का इतिहास, उसके विचार, उसका ज्ञान-विज्ञान एवं उसकी आकांक्षाएँ सभी कुछ लिखित भाषा के माध्यम से सुरक्षित रहता है।

* भाषा के मूल आधार :-

मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व भाषा को दिया जाता है। उसने जो भी विकास किया है, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह भाषा के माध्यम से की है। भाषा के मूल आधारों में भाषा वैज्ञानिकों ने दो वर्गों में विभाजित किया है :-

- i) भाषा का भौतिक आधार
- ii) भाषा का मानसिक आधार

i) भाषा का भौतिक आधार:-

भाषा के भौतिक आधार के अंतर्गत भाषा के मूल तत्व जैसे:- शब्द, अक्षर, वाक्य, लिपि एवं विराम चिह्न आते हैं। ध्वनियों को उच्चारित करने वाले अंग जैसे:- फेफड़े, कंठ, मुख विवर और नाक आते हैं। ध्वनियों को सुनने वाले अंग कान आता है। ध्वनि संकेतों को धारण करने वाली श्रुति शक्ति जैसे:- ताली, स्लेट एवं कागज आदि आते हैं। ध्वनियों को लेख्य रूप देने वाली श्रुति शक्ति कलम और स्वाही और लेख्य रूप भाषा को पढ़ने करने वाले अंग जैसे:- आँखें, जैसे फेफड़े, कंठ, मुख विवर और नाक आदि आते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मानव समूह में उसकी भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा हुआ है।

ii) भाषा का मानसिक आधार:-

भाषा अपने विचार व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। मनुष्य के मन के विचार, मन के भाव आदि उसकी भाषा के मूल आधार होते हैं और मनुष्य के मन के विचारों एवं मन के भावों का सम्बंध मन सांकेतिक से होता है। इसलिए इसे भाषा के मानसिक आधार कहा जाता है। यदि ध्यानपूर्वक सोचा जाय तो यह स्पष्ट है कि भाषा के भौतिक आधार भी भाषा के मानसिक आधार पर निर्भर करते हैं। भाषा के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रिया तब तक शुरू नहीं होती जब

तक मनुष्य का मस्तिष्क इसके लिए तैयार नहीं होता हमारी समस्त परमेश्वर एवं धार्मिक मूल्य मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। मन, मस्तिष्क, मनोवेग और विचार ये सब भाषा के मानसिक विचार हैं। हम किसी के अभाव में भी भाषा के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।

भाषा की प्रकृति:— जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल मनुष्य की भाषाओं से होता है और वह भी ध्वनि संकेतों की उस भाषा से जो लिपि का वस्त्र धारण कर लिखित रूप धारण करती है। मानव समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता, सीखाता है। और इस भाषा की विशेषता यह है कि इसमें सर्वत्र परिवर्तन एवं विकास होता रहता है। मनुष्य की भाषा की यही प्रकृति है। भाषा की इस प्रकृति को हम निम्नलिखित बिंदुओं से व्यक्त कर सकते हैं:—

- ① भाषा मानव की विशेषता है।
- ② भाषा विचार-विनिमय हेतु समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह है।
- ③ भाषा और विचार में अटूट सम्बंध होते हैं।
- ④ भाषा लिपि संकेतों के द्वारा धारण एक लिखित रूप है।
- ⑤ भाषा अर्जुन सम्पत्ति है।
- ⑥ भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है।

* भाषा का महत्व :- मनुष्य ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विकास एवं प्रगति की है उसमें मूल भाषा को ही जाता है। इस दृष्टि से मानव जीवन में भाषा का महत्व सबसे अधिक है। जो समाज के विकास की मूल आधारशिला है।

i) भाषा मानव विकास का मूल आधार है :- भाषा की आवृत्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है वैसे तो ससार के सभी प्राणियों के पास अपनी भाषाएँ हैं परंतु विचार प्रधान भाषा केवल मनुष्य के पास है इसलिए भाषा मानव के विकास का मूल आधार है।

ii) भाषा विचार विनिमय का साधन है :- मन के आवृत्ति की अभिव्यक्ति के प्रयत्न से भाषा को जन्म दिया। जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों अपने सुख-दुख को एक-दूसरे व्यक्ति से कहता व सुनता है। इसी भाषा के माध्यम से आज मनुष्य अपने आवागमिव्यक्ति के साथ-साथ विचार-विनिमय भी करता रहता है।

iii) भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है :- भाषा जैसे-2 मानव समाज में अपनी भाषा में प्रगति की है वैसे-2 उनकी सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर विकास हुआ है। ज्ञान-विज्ञान और श्रेष्ठ साहित्य का सर्जन हुआ। कभी-2 किसी जाति समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। आदिकाल में श्रवत जगतगुरु था इसका प्रमाण उस समय के

साहित्य, पुराण और उपनिषद् व स्मृतियों में है।

iii) भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है: — भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अद्यतन का समस्त संक्षिप्त ज्ञान आवी-पीढ़ी को सौंपती है। और यह क्रम निरंतर चलता रहता है तथा भाषा का विकास होता रहता है।

iv) विचार शक्ति का विकास: — भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है व मनन शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास भी असंभव है।

v) भाषा मानव के विचार, भाव, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है: — भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों भावों एवं अनुभवों को सुरक्षित रख सकते हैं प्रत्येक आने वाली पीढ़ी उसमें अपने भाव विचार एवं अनुभव आदि को जोड़कर अपने से आगे की पीढ़ी को हस्तान्तरित करती है। भाषा के अभाव में यह सब असंभव है।

निष्कर्ष: — उपरोक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भाषा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आधार है। भाषा से हमें पहचाना जा सकता है और भाषा हर इंसान को एक-दूसरे से जोड़ती है। चाहे वह किसी भी देश या प्रांत में रह रहे हों। मनुष्य ने हर क्षेत्र में चाहे वो ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र हो उसका विकास व

प्रगति का ज्ञेय भाषा को ही जाता है।

भाषा का सामाजिक

→ भाषा का सामाजिक जीवन में महत्व :-

भूमिका :- भाषा और समाज को एक-दूसरे के पूरक के रूप में माना जाता है। शिक्षा के बिना मनुष्य को पशु के समान माना जाता है। भाषा के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा का अविवेक और विकास वस्तुतः मनुष्य के व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से प्रस्तुत कर सकते हैं।

- ① व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक।
- ② ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन।
- ③ विचार-विनिमय का सरलतम साधन।
- ④ शिक्षा की प्रगति की आधारशिला।
- ⑤ साहित्य कला, संस्कृति व सभ्यता का विकास।
- ⑥ चिंतन व मनन का साधन।
- ⑦ भाषा और राष्ट्र।
- ⑧ सामाजिक जीवन में भाषा।

⑨ व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक :- भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण कारक है। व्यक्ति अपने अंतर्मन को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी अंततः शक्ति बाहर आती है। जिसकी अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी उस उतने प्रभावशाली ढंग से होगा। यही कारण है कि मुख्य मुख्य व्यक्तित्व का व्यक्ति अधिक आदर का पात्र बनता है।

(a) ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन : — भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी नवजात विद्यार्थी के रूप में समस्त साधित ज्ञान नई पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम ज्ञान को और विश्व को, पुरातन को और नवीन को पहचानने में समर्थ सिद्ध होते हैं।

(b) विचार - विनिमय का सरलतम साधन : — मनुष्य जन्म के कुछ समय के पश्चात् ही अपनी प्रथम पाठशाला अर्थात् परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। यह भाषा वह स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। भाषा इसे सीखने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह विचार - विनिमय का सरल और सभ्य माध्यम है।

(c) शिक्षा की प्रगति की आधारशिला : — भाषा शिक्षा का आधार ही है। समस्त ज्ञान - विज्ञान के मध्य भाषा में लिपिबद्ध होते हैं। यदि भाषा न होती तो शिक्षा यह स्वरूप भी निर्मित नहीं होता और यदि शिक्षा की व्यवस्था न होती तो मानव असभ्य और जंगली होता। भाषा के अभाव में हम पुरेजा द्वारा उपलब्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं होता।

(d) साहित्य कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास : — साहित्य भाषा में लिखा जाता है। भाषा का विकास उसके फलस्वरूप साहित्य के वर्ण में देखा जाता है। इसी प्रकार कला में स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं।

वायुमंडल में जब ऊपर चूँकते हैं तो श्रोताओं को गूँगाव बना देते हैं। यह चमत्कार भाषा का ही होता है।
मर्ल सॉपर्स ने भी कहा है कि "भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है।"

(1) चिंतन एवं मनन का साधन :— भाषा विचारों की सृजन शक्ति का माध्यम है। हम भाषा में ही विचार, चिंतन और मनन करते हैं। विचारों की अचोक्ष्यता के कारण मानव आज विभिन्न गृहों की जानकारी लेने में निरंतर सफलतापूर्वक अर्जित कर रहा है। स्पष्ट है कि विचार, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित है।

(2) भाषा और राष्ट्र :—

(2) सामाजिक जीवन में भाषा :— जिस प्रकार प्रायिक व्यक्ति में एक भाषा होती है उसी प्रकार एक समुदाय की भी भाषा होती है। समाज की भाषा उसके सदस्यों के विचारों, मूल्यों और दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करती है। लोगों का एक समूह जो किसी भाषा को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार साझा करता है वह भाषा समुदाय कहलाता है।

भाषा समुदाय व्यक्तियों के आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार होते हैं जैसे :— क्लब, क्लब, खेल, मैदान आदि। हमारी सामाजिक पहचान और समाज में हमारी भूमिकाएँ उस समूह या समुदाय के द्वारा निर्धारित होती हैं। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो वह हमारी विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करती है।

→ भाषाओं का वर्गीकरण:

भूमिका:- संसार में हजारों भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा का अविष्कार और विकास वास्तव में मनुष्य का विकास है। इन सब भाषाओं को विद्वानों ने अनेक रूपों में वर्गीकृत किया है। कुछ मुख्य वर्गीकरण प्रस्तुत हैं। कुछ विद्वानों ने संसार की समस्त भाषाओं को केवल दो वर्गों में विभाजित किया है:-

मातृभाषा और मातृतर भाषा

मातृभाषा:- वह भाषा जिसे कोई व्यक्ति जन्म के बाद अपनी माँ एवं संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है उसे उस व्यक्ति की मातृभाषा कहते हैं। इसको प्रथम भाषा भी कह सकते हैं।

जैसे:- हिंदी भाषा आर्यियों की मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा हिंदी है, तेलगू भाषा - आर्यियों की तेलगू है और अंग्रेजी भाषा - आर्यियों की अंग्रेजी है।

मातृतर भाषा:- किसी व्यक्ति की मातृभाषा से भिन्न भाषाएँ जिन्हें वह प्रयत्नों से सीखता है। इसके लिए मातृतर भाषाएँ होती हैं। मातृतर भाषाओं को कोई भी व्यक्ति मातृतर भाषाओं के बाद सीखता है इसलिए इन्हें द्वितीय भाषा भी कहते हैं।

जैसे:- हिंदी मातृभाषी व्यक्तियों के लिए संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलगू, अंग्रेजी, जर्मन आदि सभी मातृतर भाषाएँ हैं इसी प्रकार अंग्रेजी मातृभाषा व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी की

छोड़कर सभी भाषाएँ मातृभाषा हैं।

संगोत्रीय तथा विषमगोत्रीय भाषा :-

भाषा विशेषज्ञों ने भाषा भाषाओं का विभाजन उनके मूल स्त्रोत के आधार पर किया है। उनकी दृष्टि से किसी एक मूल भाषा से निकलने वाली भाषाएँ संगोत्रीय होती हैं। इस प्रकार भाषाओं के जितने मूल स्त्रोत होते हैं उतने ही उनके संगोत्रीय वर्ग हैं।

संगोत्रीय भाषा :- एक ही भाषा परिवार की भाषाओं को संगोत्रीय भाषाएँ कहते हैं क्योंकि इन भाषाओं का मूल स्त्रोत कोई एक भाषा होती है।
जैसे :- हिंदी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली तथा नेपाली सभी आर्य भाषा परिवार की भाषाएँ हैं इन सबका मूल स्त्रोत वैदिक संस्कृत में है।
इसलिए ये सब संगोत्रीय भाषाएँ हैं। इसी प्रकार द्रविड़ भाषा परिवार की समस्त भाषाएँ :- तमिल, मलयालम, तेलगू और कन्नड़ संगोत्रीय भाषाएँ हैं।

विषमगोत्रीय भाषा :- एक गोत्रीय भाषाओं के लिए दूसरी गोत्रीय भाषाएँ विषम गोत्रीय कही जाती हैं। इन भाषाओं का मूल स्त्रोत भिन्न-2 भाषाएँ होती हैं। इसलिए इन्हें विषम गोत्रीय भाषाएँ भी कहते हैं।

जैसे :- हिंदी और तमिल विषम गोत्रीय भाषाएँ होती हैं। इसी प्रकार हिंदी और तेलगू विषम गोत्रीय भाषाएँ हैं। इस प्रकार आर्यकुल की भाषाओं को छोड़कर अन्य सब भाषाएँ विषम गोत्रीय भाषा हैं।

- देशी और विदेशी भाषाएँ :- देश-विदेश की दृष्टि से भाषाओं में दो वर्ग किए जाते हैं :- देशी भाषाएँ और विदेशी भाषाएँ।

देशी भाषाएँ :- वे सब भाषाएँ जिनका जन्म एवं विकास किसी देश विशेष में हुआ है, उस देश की देशी भाषाएँ कही जाती हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में अनेक भाषाओं का जन्म एवं विकास हुआ है जैसे :- संस्कृत, प्राचीन, अपभ्रंश, हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़ीया, कश्मीरी, बंगाली, असमी, नेपाली, तेलगू, तमिल, कन्नड़, मलियालम आदि।

विदेशी भाषाएँ :- किसी देश की दृष्टि से वे सब भाषाएँ जिनका जन्म एवं विकास उस देश के छोड़कर अन्य किसी देश में हुआ है, उस देश के लिए विदेशी भाषाएँ होती हैं जैसे :- अरबी, फ़ारसी, जर्मन, चीनी व अंग्रेजी आदि। भाषाएँ हमारे देश की दृष्टि से विदेशी भाषाएँ हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन के लिए हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, तेलगू, तमिल, जर्मन, फ्रेंच, कर्सी व चीनी आदि भाषाएँ विदेशी भाषाएँ हैं।

==> भाषा एक साधन के रूप में :-

भूमिका :- भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है जो अनुकरण द्वारा अर्जित सम्पत्ति है। बच्चा इसी अनुकरण द्वारा सीखता है वह उसकी मातृभाषा पहचानती है। वह अपनी माँ से ही नहीं अपितु परिवार के अन्य सदस्यों से भी अनुकरण द्वारा सीखता है। परिवार के बाद आसपास के परिवेश

के संपर्क में आकर अपने विचारों का आदान-प्रदान मौखिक और लिखित रूप में करता है। वह भी उसकी मातृभाषा ही कहलती है। भाषा से ही गई शिक्षा द्वारा बच्चा के आसानी से सीख लेता है। भाषा सभ्यता व संस्कृति के विकास में भी सहायक है।

- ① भाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
- ② ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन
- ③ राष्ट्र की एकता का आधार
- ④ सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन
- ⑤ राष्ट्र संगठनात्मक विकास और चिंतन का साधन
- ⑥ विचार-विनिमय का सरलतम साधन

① भाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन :— विश्व के सभी शिक्षा आसत्री तथा भाषा वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मातृ-भाषा हो सकती है। उनकी मान्यता है कि जितनी सरलता और स्पष्टता से मातृभाषा के माध्यम से बालक शिक्षा प्राप्त करता है किसी अन्य भाषा से नहीं। अन्य भाषाओं के माध्यम से भिन्न-२ विषयों को सीखने में अधिक समय तथा अधिक मानसिक शक्ति लगानी पड़ती है जबकि मातृभाषा से सीखी गए विषयों को सहज तथा स्थायी रूप से अर्जित कर सकते हैं।

② ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन :— भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी समस्त भूविज्ञान ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से हम प्राचीन और नवीन, आत्मा तथा विश्व को पहचानने में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के

व्यक्तित्व का विकास होता है।

- ③ राष्ट्र की एकता का आधार :- संपूर्ण राष्ट्र के प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। इसके साथ-ही भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार-विनिमय, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का साधन बनती है तथा सभी कार्यों को भाषा के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। यदि भाषा न होती तो हम अपने कार्यों एवं विचारों का आदान-प्रदान किस प्रकार से कर पाते। भाषा के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचारधाराएँ राष्ट्र तक सीमित रह जाती।

- ④ सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम :-

भाषा समाज में सदस्यों को एक मूत्र में बाँधती है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। भाषा जितनी विकसित होगी समाज उतना ही विकासशील होगा। भाषा के माध्यम से समाज के नैतिक व्यापार ही संपन्न नहीं होते अपितु इसकी संस्कृति भी संपन्न होती है। यह भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिलजुलकर रहते हैं। परंतु भाषा समाज की जीवों में अहायक है।

- ⑤ संज्ञानात्मकता विकास और चिंतन का माध्यम :-

जन्म के बाद बालक में संज्ञानात्मकता विकास के माध्यम-साधन

अधिगम

भूमिका :- अध्ययन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु अधिगम है। इस प्रक्रिया में शिक्षा जगत की सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिगम पर आधारित है। एक तरफ से जो कुछ हम शिक्षा और अधिगम प्रक्रिया द्वारा चाहते हैं और फलते हैं वह सब अधिगम के लिए ही संभव है। इस दृष्टि से अधिगम की अवधारणा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना या अधिगम के विषय में जानना आवश्यक है।

अधिगम का अर्थ :- अधिगम को शिक्षा, मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। घर स्कूल और अपने आस-पास के वातावरण से मनुष्य कुछ-न-कुछ सीखता ही रहता है और अपना स्वतन्त्र विकास करता है। आज हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया के द्वारा जिनका बहुत छोटी सी हो गई है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के व्यवहारिक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है। उस प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। उपहारण के लिए :- जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दीया सलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। उसे कड़ा अनुभव होता है। दूसरी बार वह जलती हुई किसी भी वस्तु की तरफ हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करेगा।

परिभाषा :- पौल के अनुसार, "अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है।"

क्रो एंड क्रो के अनुसार, "सीखने के अवर्गत आते, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है।"

ग्रेट्स के अनुसार, "अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं।"

→ अधिगम का स्वरूप अथवा प्रकृति :-

① व्यवहारिक दृष्टिकोण :- व्यवहारवादियों का विचार है कि अधिगम अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है। मनुष्य तथा दूसरे प्राणी वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। वज्जा जन्म से ही अपने माता-पिता वातावरण से कुछ सीखने का प्रयत्न करता है।

② गैस्टाल्ट दृष्टिकोण :- इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम का आधार गैस्टाल्ट ढाँचे पर निर्भर है अधिगम सम्पूर्ण स्थिति की सम्पूर्ण प्रतिक्रिया है।

③ हैरमिक दृष्टिकोण :- यह दृष्टिकोण मैकडगल की देन है यह अधिगम के बह्य केंद्रित स्वरूप पर जोर देता है। अधिगम बह्य को सामने रखकर किया जाता है।

④ प्रयत्न तथा भूल दृष्टिकोण :- यह दृष्टिकोण थार्नडिक की देन है उसने बिल्लियों, कुत्तों और मछलियों पर बहुत से प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि वे प्रयत्न व भूल से बहुत कुछ सीखते हैं।

- ② अधिगम का द्वितीय दृष्टिकोण :— कई जीविन नै इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है उसने लिखा है की अधिगम प्राकृतिकता का प्रत्यक्ष ज्ञान एवं संग्रहण है और सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण हाथ है।

— अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक :—

- ① अधिगम कर्ता से सम्बंधित कारक :— 3
- ② अध्यापक से सम्बंधित कारक
- ③ विषय-वस्तु से सम्बंधित कारक
- ④ पर्यावरण से सम्बंधित कारक

① अधिगम कर्ता से सम्बंधित कारक :—

- a) सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा का स्तर :— बच्चों को नए ज्ञान की ओर प्रवृत्त करवाने के पहले यह आवश्यक है कि उन्हें सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न होने पर परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया होने पर बालक किसी भी चीज को आसानी से सीखने में सफल हो जाता है। सीखने की इच्छा के अलावा बच्चों का आकांक्षा स्तर भी उच्च सीटि का होना चाहिए जिससे बालक कठिन से कठिन ज्ञान को सरलता से सीख सके।

- b) शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य :— अधिगम से पहले बच्चों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य रहना भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बालक में ध्यान, रुचि एवं निरमिता पर

इसका निश्चित चउ। प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के अधिगम पर प्रतिकूल पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से असुस्थ बालक शीघ्र ही थक जाते हैं।

- c) कार्य का समय व बकान:- अधिगम का समय सीखने की क्रिया से प्रभावित होता है। प्रातः के समय छात्र जिस असाह व तापरेता से सीखते हैं उतना दोपहर बाद के पीरियड में नहीं। अतः विद्यालयों में पीरियड (कालांश) की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं को प्रत्यक्ष पर्याप्त विश्राम मिलना चाहिए और समस्त कालांशों में समान रूप से परिश्रम करने लगे।

- d) परिपक्वता:- छात्रों को अधिगम करने से पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम या क्रियाएँ छात्र-छात्राओं के स्तर, आयु के अनुकूल हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से छात्र-छात्राओं का परिपक्व न होना बालक को समुचित रूप से अधिगम नहीं करा सकता जिसे शिक्षक की क्षमता एवं समय बेकार रह जाता है।

- e) अधिगम विधि:- सीखने की प्रक्रिया में विधि सीखने की अत्यधिक प्रभावित करती है। उपयुक्त विधि के माध्यम से बच्चों को अधिगम कराया जा सकता है। यदि चयन की गई अधिगम विधि बच्चों के स्तर के अनुकूल तथा रुचिगत नहीं है तो ऐसी स्थिति में सीखना अत्यंत कठिन एवं निरस हो जाता है। अतः बच्चों को सक्रिय रखने वाली रुचिगत अधिगम विधियों का चयन शिक्षकों को करना

चाहिए। क्योंकि ऐसा विधि आत्यधिक प्रभावशाली होती है।

- 4) अभिप्रेरणा:- स्टीफन के शब्दों में, "अध्यापक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें अभिप्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा द्वारा ही संशोधन की गति को तेज किया जा सकता है। प्रेरणा प्राप्त होने पर बालक असाहित हीनरू रूचि पूर्वक सीखते हैं तथा तब उसके द्वारा जटिल-से-जटिल पाठ को सहज और रुचिगत बनाया जा सकता है। अतः शिक्षक को विभिन्न प्रकार के प्रेरकों का प्रयोग यथासंभव करना चाहिए।

- 5) वर्णानुक्रम:- बालकों में निहित अनैक गुण एवं क्षमताएँ उनके वर्णानुक्रम की दृष्टि होती हैं। अतः बालकों के अधिगम पर वर्णानुक्रम की विशेषताओं का गहरा प्रभाव पड़ता है।

- 6) विद्यालय का अच्छा वातावरण:- बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर विद्यालय के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय का वातावरण सहज और शांत है तो बालक अपने ध्यान को पाठ पर शीघ्र ही केंद्रित कर लेता है। इसके अतिरिक्त कक्षा में बैठने की सही व्यवस्था, प्रकाश एवं वायु का सीखने पर प्रभाव पड़ता है। उसके साथ ही विद्यालय में पुस्तकों, शिक्षक सामग्री आदि की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि उनका भी बच्चों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

- 7) बुद्धि:- बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी

करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बुद्धि है तीव्र बुद्धि वाला बालक, मंद बुद्धि बालक की तुलना में किसी भी कार्य को जल्दी सीख जाता है। बुद्धि एवं शैक्षिक अक्षि के मध्य कुछ स्तर का सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है।

ii) अभ्यास एवं प्रशिक्षण :- हात-धाताओं को अभ्यास हेतु काम दिए जाने पर ही अधिगम की प्रक्रिया में विकास होता है अधिगम में बालक को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने पर वह किसी कार्य को अति शीघ्र सीख जाते हैं अतः बालको को अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए किंतु अभ्यास जतना अधिक भी न हो कि बालक को उससे अस्वस्थ हो जाए।

iii) अध्यापक से संबंधित कारक :-

i) बाल केंद्रित शिक्षा पर बल :- आज बाल केंद्रित शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। अतः शिक्षक के लिए ठीक यह आवश्यक है कि वह छात्रों को जो भी ज्ञान प्रदान करे वह उनकी रुचि व स्तर के अनुकूल होना चाहिए।

ii) विषय का ज्ञान :- कोई भी अध्यापक अपने छात्रों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर ही प्रभावित कर सकता है। विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर अध्यापक आत्म-विश्वास पूर्वक बच्चों को नवीन ज्ञान प्रदान करते हुए उनके मासिक विकास कर सकता है।

iii) मनोविज्ञान एवं बाल प्रकृति का ज्ञान :- अध्यापक को शिक्षण

सब सम्बंधित मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का ध्यान होना आवश्यक है। मनोविज्ञान का ध्यान होने पर ही अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण को बालक की प्रकृति का ध्यान भी होना चाहिए।

(d) शिक्षण पद्धति :- अधिगम प्रक्रिया से शिक्षण पद्धति का प्रत्यक्ष सम्बंध होता है। समस्त बालकों की एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। क्योंकि प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र से भिन्न होता है। अतः शिक्षण द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण पद्धति अधिक प्रभावी व मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए तभी अधिगम की प्रक्रिया सफल हो सकती है।

(e) व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार :- अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। मनोविज्ञान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आज के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व प्रदान किया जा रहा है। इसलिए आज बालक में स्वधि, अभिव्यक्ति, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान होने पर ही शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बना सकते हैं।

(f) व्यक्तित्व :- शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षण का आधार होता है। उत्तम शिक्षक का व्यक्तित्व तत्प्रभावशाली होता है। प्रभावी व्यक्तित्व का अर्थ यह है कि उत्तम अध्यापक आत्मविश्वासी एवं दृढ़ इच्छाशक्ति वाला, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ एवं निरोगी होती है। उसके गुणों एक आदमी का प्रभाव बालकों पर इतना अधिक पड़ता है

कि उसकी समग्र स्वचियाँ एवं अभिव्यक्तियाँ ही बालकों की स्वचियाँ या अभिव्यक्तियाँ बन जाती हैं।

② पढ़ाने की दृष्टि :- पाठ को पढ़ाने की दृष्टि होने पर ही शिक्षक किसी पाठ को स्वचिपूर्वक पढ़ा सकता है और छात्रों में भी पढ़ने के प्रति स्वचि विकसित कर सकता है।

③ व्यवसाय के प्रति निष्ठा :- व्यवसाय के प्रति निष्ठा भी अधिगम को प्रभावित करती है और विषय में स्वचि उत्पन्न करती है। अतः शिक्षक को अपना कार्य उत्साह व तत्परता से करना चाहिए।

④ शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य :- शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य होने पर ही शिक्षक बालकों को ध्यान केंद्रित करवाकर प्रभावशाली ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकता है।

⑤ अध्यापक का व्यवहार :- यदि शिक्षक का व्यवहार समस्त छात्र-छात्रों के प्रति समान है। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों से युक्त है तो छात्र भली प्रकार से सीखेंगे। इसके विपरीत शिक्षक का व्यवहार होने पर छात्रों की शिक्षक के प्रति गलत धारणा बन जाएगी जो अधिगम में अत्यंत बाधक सिद्ध होगी। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं जैसे :-
वातावरण का घास, पाठ योजना, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का आयोजन, अनुशासन आदि।

② विषय-वस्तु से संबंधित कारक :-

i) विषय-वस्तु का रुचिकर होना :- विषय-वस्तु रुचिकर होने पर ध्यान मन लगाकर पढ़ते हैं। इसके विपरीत यदि विषय-वस्तु अरुचिकर है तो ध्यान पढ़ने में केंद्रित नहीं होते परिणाम स्वरूप अधिगम की प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती।

ii) विषय-वस्तु की प्रकृति एवं आकार :- विषय-वस्तु की प्रकृति एवं आकार का अधिगम प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विषय-वस्तु के कठिन होने पर बच्चों को अधिगम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि विषय-वस्तु सरल है तो उसे बालक सहजता के साथ सीख लेता है। छोटे अध्यायों को बालक बड़े अध्यायों की अपेक्षा कम समय में याद कर लेते हैं।

iii) भाषा-शैली :- सीखने की प्रक्रिया में भाषा-शैली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरल भाषा अधिगम में सहायक सिद्ध होती है और कठिन शब्दों का प्रयोग एवं लंबे वाक्य अधिगम में परेशानी उत्पन्न करते हैं।

iv) विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर :- विषय-वस्तु से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक विषय का कठिनाई स्तर अलग होता है। इसमें सभी विद्यार्थी समान रूप से किसी विषय को समझ नहीं पाते।

ग) विषयवस्तु की उद्देश्यपूर्णता एवं प्रस्तुतीकरण का क्रम :- सीखी जाने वाली विषयवस्तु उद्देश्यपूर्ण होने पर बालक उसे सहजता से सीख लेते हैं। सबल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके यदि विषयवस्तु को प्रस्तुत किया जाता है तो छात्र स्वतः कठिन विषयवस्तु को भी सरलता से सीख लेते हैं।

घ) शिक्षण सामग्री का उपयोग :- शिक्षण की वरधिकर बनाने के लिए शिक्षण सामग्री के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षण सामग्री की सहायता से जटिल से जटिल पाठ को सरलता से पढ़ाया जा सकता है।

ङ) पर्यावरण से संबंधित कारक :- अधिगम पर प्रभाव डालने वाले वातावरण से संबंधित प्रमुख कारक इस प्रकार से हैं :-

१) सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण :- विद्यार्थी विद्यार्थियों के अधिगम पर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। प्रायः सांस्कृतिक वातावरण का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा नियमित या प्रभावित उन समस्त नियमों, विचारों एवं भौतिक वस्तुओं से है जो पूर्ण रूप से चारों तरफ से जीवन को घेरते हुए हैं। सांस्कृतिक वातावरण मानव द्वारा नियमित होते हुए भी मानवीयता एवं सामाजिक विकास तथा बालक के अधिगम में सबसे अधिक प्रभावित करते हैं।

२) भौतिक वातावरण :- भौतिक वातावरण के अंतर्गत तापमान, प्रकाश, वायु, शोर बरखादि का प्रमुख स्थान

है। कक्षा का भौतिक वातावरण उपयुक्त न होने पर छात्रों को प्रमाण अनुभव करने लगते हैं और सीखने में उनकी अक्षमता उत्पन्न होने लगती है।

iii) पारिवारिक वातावरण :- पारिवारिक वातावरण का बालक के अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन परिवारों का वातावरण अतम होता है, उन्हीं परिवारों के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि होती है और कठिन से कठिन अध्याय को भी वे बच्चे सरलता से सीख लेते हैं। इसके विपरीत, जिन परिवारों का पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होता, उन परिवारों के बच्चों की अधिगम की गति अत्यधिक मंद होती है।

iv) मनोवैज्ञानिक वातावरण :- अधिगम की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी प्रभाव भी पड़ता है। यदि छात्रों में परस्पर सहयोग, सहभाव, सहधुर, संबंध है तो अधिगम की प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ती है।

v) शिक्षा के औपचारिक साधन :- शिक्षा के साधनों में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधनों में समाचार पत्र, रेडियो, टेलिविजन, पुस्तकालय, वाचनालय आदि साधनों का बालक के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

⇒ निष्कर्ष :-

अब तक विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि सीखना एक विस्तृत और व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता की गुण पाया जाता है और विभिन्न

स्तरों से गुजरकर यह क्रिया संपन्न होती है। सीखने के पूर्व सीखने की आवश्यकता जागृत होना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से स्मृति द्वारा सुझाए गए तीन स्तर सीखने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाए उससे पहले उसमें सीखने की तीव्र अभिलाषा या अभिप्रेरणा उत्पन्न कर देना सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत आवश्यक तात्व है। जिसकी ओर माता-पिता तथा अध्यापक को पूरा ध्यान देना चाहिए। अधिगम की उपरोक्त-कारक मनोवैज्ञानिक पर आधारित हैं। इनका प्रभाव बालक पर आंतरिक व बाहरी रूप से पड़ता है।

—) अधिगम के स्तर :—

भूमिका :— अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु अधिगम है। इस प्रक्रिया में शिक्षा जगत की सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिगम पर आधारित है। इस तरह से जो कुछ हम शिक्षा और अधिगम प्रक्रिया द्वारा चाहते हैं और करते हैं वह सब अधिगम के लिए ही संभव है। इस दृष्टि से अधिगम की अवधारणा व अधिगम के स्तर के विषय में जानना आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। मनुष्य अपने सीखे गए ज्ञान एवं कौशल के आधार पर नए-नए तथ्यों की खोज करता है सीखने की इस क्रिया को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है स्तर हैं :—

- ① स्मृति स्तर
- ② चिंतन स्तर
- ③ बोध स्तर

- ① स्मृति स्तर :- किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का ज्ञान बिना सोचें समझे प्राप्त करने के तो इस प्रकार के सीखने के स्तर को स्मृति स्तर कहते हैं क्योंकि इस प्रकार सीखने में मनुष्य विचार नहीं करता इसलिए बिनास्मृति सीखना भी कहते हैं। स्मृति की चार प्रक्रिया हैं :-

ग्रहण, धारणा, प्रत्यासमरण, पहचान।
सीखने वाला सर्वप्रथम किसी वस्तु, क्रिया या तथ्य का ज्ञान अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा करता है यह प्रक्रिया सीखने वाले के मन में संचित हो जाती है। इसे ग्रहण कहते हैं। वस्तु क्रिया अथवा तथ्य से संबंधित इन चिन्हों को मास्तिष्क में बनाए रखना धारणा कहलाता है। इस प्रकार धारण किए गए अनुभवों को पुनः चेतन मन पर लाने और उन्हें तस्कट करने को प्रत्यासमरण कहते हैं और इन्हीं अनुभवों को जोड़ने और समझने को अभिव्यक्त करने को पहचान कहते हैं। इस प्रकार सीखने की उपरोक्त चार प्रक्रियाएँ जितने सहयोग में होती हैं उसका स्मृति स्तर का सीखना उतना अच्छा होता है प्रारंभ में प्रायः बच्चे इसी स्मृति स्तर से सीखना प्रारंभ करते हैं।

- ② चिंतन स्तर :- किसी गहरे तथ्य को समझने के लिए जब चिंतन करना पड़ता है तो इस प्रकार के सीखने को चिंतन स्तर कहते हैं यह बोध स्तर के चिंतन में भी करना पड़ता है परंतु जब गहरे विचार करने पड़े तो उसे चिंतन सीखना होता है क्योंकि इस स्तर के सीखने में विचारों का परिणाम महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसे चिंतन स्तर का सीखना कहते हैं। चिंतन स्तर पर प्रायः समस्या के केंद्री सीखना भी शामिल है। चिंतन स्तर के सीखने वाला अपने दोनो स्तरों के सीखी गए ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करता है इसलिए इस स्तर का सीखना इस बात पर निर्भर

कहता है कि सीखने वाले का तब संबंधी पूर्व ज्ञान किताब स्याद है इस प्रकार सीखने वाला स्वयं करके स्वयं सीखता है और तर्क के आधार पर भी सीखता है यह उत्तम स्तर का सीखना होता है इस प्रकार का सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल ब्यापक होता है क्योंकि यह जीवन की समस्याओं के समाधान पर सहज एवं नई-नई चीजों का आधार होता है।

- ③ बोध स्तर :- किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का ज्ञान सौच-समझकर प्राप्त करना बोध स्तर कहलाता है। इस प्रकार के सीखने में मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करता है और विचार करता है। इसलिए इसे विचारपूर्ण सीखना भी कहते हैं। किसी व्यक्ति को किसी तथ्य का बोध हो गया है तो यह इस बात से पता लगता है कि वह उससे मिलते-जुलते तथ्यों से उसका विवेक कर सके। सीखने वाला सीखे जाने वाली वस्तु क्रिया अथवा तथ्य को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सब समझने का प्रयत्न करता है। वह सीखे जाने वाली वस्तु क्रिया अथवा तथ्य का विश्लेषण करता है तथा नई परिस्थितियों में सही ढंग से प्रयोग करता है। सीखने वाला व्यक्ति इस स्तर को जितने सही ढंग से सीखता है, उतना बोध का स्तर उतने ही उच्च स्तर का सीखने होता है। इस स्तर के सीखने में सीखने वाले को विचारपूर्ण मानसिक क्रियाएँ करनी होती हैं। वह अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए यह समझ स्तर के सीखने से उत्तम स्तर का सीखना होता है। इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान समय के अंतराल

और उपयोग के समाप में बहुत समय तक
सर्ज रचना है और कुछ तो जीवन भर
सर्ज रचना है।

निष्कर्ष:- सीखने की प्रक्रिया में किसी न किसी
प्रकार की स्वतः, कठिनाई या बाधा सामने आ
जाती है। यही बाधा और कठिनाई उसे कुछ
सीखने को प्रेरित करती है। अगर लक्ष्य ही प्राप्ति
में किसी प्रकार की कठिनाई या बाधा सामने आ
जाती है तो व्यक्ति अपने व्यवहार, जीवन ज्ञान
और कौशल के माध्यम से उसको हल कर
लेता है। ज्ञान रख विद्यार्थी अपना नाम कॉलेज
की डॉकी टीम में शामिल करना चाहता है। डॉकी
रक्षक ऐसा खेल है जिसे खेलने से उसकी
बहुत सी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती
है इसके द्वारा अपने सहपाठियों तथा अध्यापकों
की दृष्टि में उसका मूल्य बढ़ता है व उसकी
समि व अभिरूचि के अंकुश उसे खुले
का उत्तर मिलता है। यह सभी वह अपने
अधिगम के स्तरों के प्रभावशाली कारण के
कारण कर पाता है।

⇒ अधिगम के नियम:-

भूमिका:- अधिगम या सीखने के नियमों का प्रयोग
प्रयोग के आधार पर ईश्वरल. यमंडाई ने किया है
जो अधिगम के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दूर है जिसे
सीखने के उस नियमों की ओर की जिन्हें

निम्नलिखित दो गणों में विभाजित किया गया है:-

1. मुख्य नियम
2. गौण नियम

1. मुख्य नियम:- सीखने के मुख्य तीन नियम इस प्रकार से हैं:-

(i) तत्परता का नियम:-

इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है एवं शीघ्र ही उसे सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं होती तो वह झंझला जाता है व क्रांक्षित हो जाता है व सीखने की गति धीमी होती है।

(ii) अभ्यास का नियम:-

इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार-बार करता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है तथा जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता उसे वह भूलने लगता है। जैसे:- गणित के प्रश्नों को हल करना, साइकिल चलाना, टाइप करना आदि इनके उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं।

(iii) प्रभाव का नियम:-

इस नियम के अनुसार जिस में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पूर्ण सहजता प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोख मिलता

है तो उन्हें वह सीखने का प्रयास करना है
 एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर
 बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देना
 है इस नियम को सुख तथा दुःख या पुरस्कार
 तथा दंड का नियम भी कहा जाता है।

व. गौण नियम:-

सीखा चारों ओर के परिवेश के
 अनुकूलन में सहायता करता है किसी विशिष्ट
 सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कुछ समय रहने
 के पश्चात् हम उस समाज के नियमों को
 समझ में लाते हैं और यही हमसे अपेक्षित
 भी होता है। परिवार, समाज और अपने
 कार्यक्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक एवं सदस्य
 बन जाते हैं।

i) बहु-अनुक्रिया नियम:- इस नियम के अनुसार व्यक्ति के
 सामने किसी नई समस्या के आने
 पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं के
 हल ढूँढ़ने का प्रयास करता है वह प्रतिक्रियाएँ तब तक करता
 रहता है जब तक समस्या का सही हल न खोज ले
 और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती। उससे उसे
 संतोष मिलता है और चार्नडाईक का प्रयास एवं
 भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है।

ii) मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम:- इस नियम के
 अनुसार जिस
 आदमी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता
 है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत